REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102020-222512 CG-DL-E-16102020-222512

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3229] No. 3229] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 16, 2020/आश्विन 24, 1942 NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2020/ASVINA 24, 1942

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2020

**का.आ. 3641(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमश: नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा ।

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
571	503डी	पंजाब राज्य में ब्यास के समीप रारा-3 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर बाबा बकाला, मेहता (रारा-503ए पर), बटाला (रारा-54 पर) को जोडने वाला और डेरा बाबा नानक के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग -354 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

पाद टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना का.आ. 689(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 के माध्यम से तारीख 4 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित की गई थी और उसके बाद इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 3239(अ) दिनांकित 23 सितम्बर 2020 के माध्यम से संशोधित किया गया था।

[फा. सं. NH-14012/12/2020-P&M]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

### New Delhi, the 16th October, 2020

**S.O. 3641(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

Serial No. New National Highway No.		Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
571	503D	The highway starting from its junction with NH-3 near Beas connecting Baba Bakala, Mehta (on NH-503A), Batala (on NH-54) and terminating at its junction with NH-354 near Dera Baba Nanak in the State of Punjab.

**Footnote:** The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O. 689(E), dated 4<sup>th</sup> April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4<sup>th</sup> April, 2011 and subsequently amended *vide* notifications number S.O. 3239(E), dated 23<sup>rd</sup> September 2020.

[F. No. NH-14012/12/2020-P&M] RAJESH GUPTA, Dy. Secy.